भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2475

दिनांक 10 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम की स्थिति

2475. श्री मस्तान राव यादव बीडाः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र प्रायोजित बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) को वर्ष 2026 के बाद भी जारी रखने पर विचार किया जा रहा है और इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त योजना के 'बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम' घटक के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत राज्य में बाढ़ प्रवण क्षेत्र वर्गीकरण को अपनाने या इसके लिए प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या नेल्लोर जिले के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण और तट-अपरदन रोधी कार्यों के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): चालू 'बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम' (एफएमबीएपी) की अवधि को दिनांक 30.09.2026 तक या 16वें वित्त आयोग (एफसी) चक्र के लिए योजना के अनुमोदन प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, विस्तारित किया गया है, जो केवल पहले से तय देनदारियों के भुगतान के लिए है और 15वें एफसी परिव्यय के अंतर्गत किसी भी नए कार्य का अनुमोदन या स्वीकृति की अनुमति नहीं है।

(ख): एफएमबीएपी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य से कोई भी परियोजना शुरू नहीं की गई है।

(ग): एफएमबीएपी के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधि निर्माण या उचित कार्यकारी आदेश जारी करके बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण को कार्यान्वित करना, इसमें शामिल किए जाने के मानदंडों में से एक है।

इसके अनुकूलन को सरल बनाने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय ने अगस्त 2025 में बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण (एफपीजेड) पर तकनीकी दिशानिर्देश जारी किए और उन्हें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनाने तथा कार्यान्वित करने के लिए परिचालित किया।

(घ): एफएमबीएपी के अंतर्गत नेल्लोर ज़िले के बाढ़-संभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण या कटाव-रोधी कार्यों के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
